भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1129

10 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को सहायता

1129. श्री नीरज डांगी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि औषधीय पौधों की खेती में किसानों को बाजार की अनुपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ता है. यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार औषधीय पौधों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने पर विचार कर रही है, और

(ग) सरकार द्वारा औषधीय पौधों की खेती हेतु किसानों को कौन-कौन सी आर्थिक सहायता या सब्सिडी प्रदान की जा रही है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी हाँ। हालांकि आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों को बढ़ावा देने और उनके विपणन के लिए "ई-चरक" मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। ई-चरक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश भर में औषधीय पादपों के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों विशेषकर किसानों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान को आसान बनाता है। ई-चरक एप्लिकेशन अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है और आसान बाजार पहुँच के लिए पूरे भारत के 25 हर्बल बाजारों से 100 औषधीय पादपों का पाक्षिक बाजार मूल्य भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से दिसंबर 2024 से, औषधीय पौधों की खेती को समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश भर में फलों, सब्जियों और औषधीय पादपों को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, एकीकृत बागवानी मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है।

एमआईडीएच योजना के तहत, अल्प अवधि के औषधीय पादपों अर्थात गैर-बारहमासी और गैर-वृक्ष प्रजातियों के क्षेत्र विस्तार के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सहायता की पद्धति के साथ लागत मानदंडों का विवरण नीचे दिया गया है।

घटक का नाम	**लागत मानदंड**	**सहायता का स्वरूप**
औषधीय पादप (मुलेठी, शतावरी, कलिहारी, श्वेत मूसली, गुग्गल, मंजिष्ठा, कुटकी, अतीस, जटामांसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, विदारीकंद, पिप्पली, चिरायता, पुष्करमूल)	1.5 लाख/हेक्टेयर	एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन/एकीकृत कीट प्रबंधन आदि के लिए रोपण सामग्री और सामग्री की लागत पर खर्च को पूरा करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर पर 40% की दर से 60:40 की 2 किश्तों में सहायता। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी (जनजातीय उप योजना) क्षेत्र, जीवंत गांव, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप सहित अनुसूचित क्षेत्र के मामले में, 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 50% की दर से सहायता दी जाएगी।

*****